भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4515

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

दिल्ली गोल्फ क्लब को पट्टे पर देना

†4515. श्री माथेश्वरन वी. एस.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भूमि और विकास कार्यालय को दिल्ली गोल्फ क्लब को 170 एकड़ भूमि पट्टे पर देने के लिए कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) सरकार द्वारा लीज दर को बाजार दरों के अनुरूप नहीं बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2010 से अब तक 'बारी से पहले' (आउट ऑफ टर्न) आधार पर किन-किन सदस्यों को सदस्यता प्रदान की गई थी; और

(घ) सरकार द्वारा 'बारी से पहले' आधार पर सदस्यता प्रदान करने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है और सदस्यता के लिए कितना शुल्क लिया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) : दिल्ली गोल्फ क्लब की स्थापना 1930 के दशक के प्रारंभ में एक नगरपालिका कोर्स के रूप में की गई थी और पहले इसे लोधी गोल्फ क्लब के नाम से जाना जाता था। पूर्व में आवंटित भूमि का पट्टा समय-समय पर बढ़ाया गया है। दिल्ली गोल्फ क्लब को 179 एकड़ क्षेत्र का अंतिम पट्टा नवीनीकरण 19 जुलाई, 2012 को किया गया था। 2012 से अब तक भूमि किराया आदि के रूप में प्राप्त राशि 15,54,27,740/- रुपये है। भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा संचालित भूमि दरें बाजार मूल्य से जुड़ी हुई हैं और क्लबों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए पट्टा दरों के निर्धारण का आधार हैं। दिल्ली गोल्फ क्लब के लिए अद्यतन संशोधन दिनांक 01.01.2011 को किया गया था। दिल्ली गोल्फ क्लब अपने संगम ज्ञापन/संस्था के अंतर्नियम आदि के अनुसार अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करता है और उसी के तहत सदस्यता भी प्रदान करता है।

*****